राज्या सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या1954

03 अगस्त, 2016 को उत्तर के लिए

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में अनुबंध आधार पर काम करने वाले कर्मकार

1954. **श्री वि० विजयसाई रेड्डी:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आज की तारीख के अनुसार विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी), आंध्र प्रदेश में विभिन्न पदों पर 15,000 से भी अधिक अनुबंध कर्मकार कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कर्मकारों को संयंत्र में मूलभूत स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं;

(ग) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में अनुबंध कर्मकारों को विविध सेवाएं और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए किन-किन अन्य कदमों पर विचार किया जा रहा है;

(घ) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में कितने अनुबंध कर्मकारों को स्थायी कर्मकारों के समान ही लाभ प्रदान किए जाते हैं; और

(ङ) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में अनुबंध कर्मकारों की विविध मांगों का समयबद्ध समाधान करने के लिए किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

इस्पात राज्या मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क): दिनांक 30.06.2016 की स्थिति के अनुसार विशाखापट्टनम इस्पा त संयंत्र (वीएसपी) में ठेकेदारों द्वारा कुल मिलाकर 15033 ठेका कार्मिक तैनात किये गये है।

(ख) से (घ): ठेकेदारों द्वारा लगाये गये सभी ठेका कार्मिकों , जो कि उनके द्वारा वीएसपी में तैनात किये गये है , को कर्मचारी राज्या बीमा (ईएसआई) अधिनियम , 1948 तथा इम्प्लो ईज प्राविडेन्टग फण्डर एण्डय मिससेलेनियस प्रोविजन्स) एक्ट, 1952 के अंतर्गत इन अधिनियमों के तहत निर्धारित विभिन्न लाभों और स्वाडस्थ्िय सुविधाओं समेत अन्यट सुविधाओं के लिए शामिल किया गया है। प्रधान नियोक्ताण के रूप में राष्ट्रीसय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) - वीएसपी ठेकेदारों द्वारा सांविधिक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करता है और इसके अतिरिक्तम , अपने संयंत्र अस्पसताल / स्वाास्य् क केन्द्रोंड में प्राथमिक चिकित्साग और आकस्मिक चिकित्साव उपचार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्तं , आरआईएनएल द्वारा उन्हेंक वीएसपी के नियमित कर्मचारियों के समान विश्राम गृह, रियायती कैण्टीन, क्रैच, वाश रूम, पेयजल, शौचालय, मूत्रालय इत्याादि जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

(ङ.): ठेकेदार स्वायं द्वारा तैनात किये गये ठेका कार्मिकों के संबंध में नियोक्ताम है। ठेका कार्मिकों और ठेकेदारों के बीच विवाद , यदि कोई हो , हेतु समाधान के लिये आरआईएनएल बातचीत को प्रोत्साहित करता है।

***